कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया,कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास ग्वालियर (म.प्र.)
लेखा नियंत्रक
फोन नं. 0751–2970516(O) 0751–2970515 (फैक्स)
E-mail comptroller@rvskvv.net

क्रमांक / ले.नि / पेंशन / 2025–26 / 1599 दिनांक : 26 / 8 / 2025

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर प्रमण्डल की 57 वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 के पद क्रमांक–04 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन–मंत्रालय –भोपाल के पत्र क्र. F 8-1/2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024 व मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन– मंत्रालय–भोपाल के पत्र क्र. एफ 8–1/2024/नियम/ चार भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।

2. न्यायालयों द्वारा विभिन याचिकाओं में पारित आदेशों के दृष्टिगत उपरवर्णित परिपत्र पर पुनर्विचार कर एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं–

2.1 राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 01 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 01 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये।

2.2 शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई(जैसी स्थिति हो) की काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण/पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों यथा उपादान एवं अवकाश नगदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगी।

2.3 काल्पनिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 को या उसके बाद की तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2.4 जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में रिट याचिकायें दायर की है तथा सफल हुए हैं, उनके संबंध में पूर्व न्यायालयीन निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही की जाये।

क्रमशः......02

2.5 न्यायालयीन आदेशों के अनुक्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गयी स्वीकृति को यथा स्थिति मान्य किया जाता है।

2.6 पेंशन के निर्धारण/पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्याधीन होगी।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित

R.S.Chaturvedi

(लेखा नियंत्रक)

क्रमांक/ले.नि/पेंशन/2025–26/1593 दिनांक : 25/8/2025

प्रतिलिपिः–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. निदेशक अनुसंधान/विस्तार/प्रक्षेत्र/शिक्षण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
4. कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
5. समस्त अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सीहोर/खंडवा/मंदसौर।
6. सह–संचालक अनुसंधान, ऑ.कृ.अनु.के., मुरैना/खरगौन/झाबुआ।
7. प्रभारी अधिकारी, क्षे.कृ.अनु.केन्द्र, उज्जैन/बागवई।
8. प्रक्षेत्र प्रभारी, फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी।
9. वरिष्ठ वैज्ञानिक, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र, जावरा।
10. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, ...।
11. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
12. निजसचिव माननीय कुलपति महोदय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
13. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर विश्वविद्यालय वैबसाईट पर अपलोड कराने बावत्।

R.S.Chaturvedi

(लेखा नियंत्रक)